भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 842

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गंभीर रोगी के लिए अधिक चिकित्सा कोष

†842. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अपर्याप्त निधियां स्वीकृत करने के कारण बड़ी संख्या में रोगी प्रभावित हो रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की गंभीर रोगियों के लिए और अधिक निधि उपलब्ध कराने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने गंभीर रोगियों के लिए अतिरिक्त निधि स्वीकृत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की क्षत्रप योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और हृदय, किडनी, लीवर, कैंसर आदि से संबंधित जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों को किसी भी सुपर स्पेशियलिटी सरकारी अस्पताल/संस्थान में इलाज के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आरएएन की क्षत्रप योजना के तीन घटक इस प्रकार हैं:

i. राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) - सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में हृदय, किडनी, लीवर आदि से संबंधित जानलेवा बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता; *(अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये है)।*

ii. स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि (एचएमसीपीएफ) - क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आरसीसी)/ विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्रों (टीसीसीसी) और राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) में कैंसर के उपचार के लिए वित्तीय सहायता; *(अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये है)।*

iii. दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों के लिए वित्तीय सहायता - सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में उपचार के लिए निर्दिष्ट दुर्लभ बीमारियों के लिए; *(अधिकतम वित्तीय सहायता 20 लाख रुपये है)।*

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की क्षत्रप योजना के बारे में अधिक जानकारी इस लिंक https://mohfw.gov.in/?q=Major-Programmes/poor-patients-financial-support पर प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा, दुर्लभ रोगों के लिए एक राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी), 2021 है जिसके तहत सरकार नीति में सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों की किसी भी श्रेणी से पीड़ित रोगियों को एनपीआरडी-2021 में उल्लिखित किसी भी उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) में इलाज के लिए 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एएबी-पीएमजेएवाई) भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए गरीब और कमजोर पात्र परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इसके अलावा, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के निशुल्क चिकित्सा उपचार के लिए पात्र हैं। एएबी-पीएमजेएवाई के बारे में अधिक जानकारी इस लिंक https://pmjay.gov.in/. पर देखी जा सकती है:

***